पत्रांक– 1 / पी0एम0सी0 / 629 / 2003–529–पार्ट– I– 05

बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

विपिन बिहारी मिश्र,
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक 4/01/2016

विषयः– बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 292, 293 एवं 294 के अनुसार परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति के संबंध में दिशा–निर्देश ।

प्रसंगः– पत्रांक 1 / पी0एम0सी0 / 629 / 2003–529 दिनांक 13.06.2013

महाशय,

आप अवगत हैं कि वृहद् योजनाओं के प्राक्कलनों में सभी आवश्यक मदों का समावेश कर इनका वास्तविक स्थल स्थिति के आधार पर सूत्रण करने, लागत मूल्य पर नियंत्रण रखने तथा बार–बार पुनरीक्षण की स्थिति पर अंकुश लगाने हेतु व्यापक हित में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से 10.00 करोड़ रूपये के लागत से अधिक के परियोजनाओं के तकनीकी अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति का अधिकार मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन, पटना में विकेन्द्रीत किया गया है, परन्तु योजनाओं के प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया जा रहा है कि उक्त प्रावधान के कारण यथेष्ट लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, अपितु योजनाओं के तकनीकी स्वीकृति एवं प्रावैधिक अनुमोदन में काफी विलम्ब हो रहा है। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता में भ्रम की स्थिति बन रही है कि मूल प्राक्कलन मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन द्वारा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में पुनरीक्षित प्राक्कलन, पूरक प्राक्कलन परिमाण विपत्र इत्यादि भी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन द्वारा ही अनुमोदित / स्वीकृत किया जायेगा। इसका कुप्रभाव वृहद् योंजनाओं के प्रगति पर दृष्टिगोचर हो रहा है।

उक्त के संदर्भ में निदेशानुसार पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुए कहना है कि बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 292, 293 एवं 294 के अनुसार परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति की शक्तियॉं योजना कार्य से संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता में ही सन्निहित है। 10.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं के प्राक्कलन में गुणात्मक सुधार हेतु इनके तकनीकी अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति की शक्तियॉं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन में निहित की गई थी, परन्तु अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण इस प्रावधान को भी तात्कालिक प्रभाव से विलोपित किया जाता है। मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध अपने अधीनस्थ अभियन्ताओं के माध्यम से 4000 घनसेक से अधिक क्षमता वाली नहरो पर बनने वाली संरचनाओं एवं 50000 घनसेक से अधिक क्षमता के धारों पर निर्मित होने वाले संरचनाओं, विभाग द्वारा निदेशित अन्य विशिष्ट प्रकृति के संरचनाओं तथा जिन मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्रों में रूपांकण से संबंधित पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, का रूपांकण कार्य पूर्व की भॉंति अपने स्तर से निष्पादित करेगें ।

उक्त निदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं अपने स्तर से पत्र की प्रति सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को अनुपालन हेतु उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

4.1.16

(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)